जनसंपर्क संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

जनसंपर्क भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल

कमांक ए-1-18/2024/जसंसं/स्था./ 2700 /भोपाल, दिनांक 12/07/2024

//विज्ञापन//

''विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत Walk-in-interview के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति''

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञाप क्रमांक –एफ 8-2/2013/ आ.प्र./एक दिनांक 04.01.2024 में दिए गए निर्देशानुसार जनसंपर्क संचालनालय , भोपाल के अधीनस्थ विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति Walk-in-interview के माध्यम से किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं रोजगार कार्यालय में पंजीकृत दिव्यांगजन आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

1. **रिक्त पदों का विवरण:-**

स.क्र.	पदनाम	रिक्त पद संख्या	दृष्टि धित और कम दृष्टि वाधित हेतु पद (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले हेतु पद (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी हेतु पद (1.5%)	ओटिज्म बौद्धिक द्विव्यागता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता हेतु पद (1.5%)	कुल योग
1.	सहायक ग्रेड-तीन (तृतीय श्रेणी)	03	01	-	01	01	03
2.	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी)	05	02	-	01	02	05
कुल योग		08	03	-	02	03	08

2. पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा (दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में)

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04.07.2019 के माध्यम से राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

क्र.	भर्ती का तरीका	
1.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष में 05 वर्ष की छूट सहित)

3 पद का नाम, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं वेतनमान:-

1	सहायक ग्रेड-तीन (19500-62000)	1. 10+2 के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। 2. निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय पत्रोंपाधि/डिप्लोमा होना अनिवार्य है। (क) यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट कोर्स। (ङ.) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) म.प्र. द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र। अथवा 2.1 उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई. (सी.एस.ई/आई.टी.) एम.सी.ए /एम.ए.सी.(आई.टी./सी.एस.)/बी.एस.सी(आई.टी./सी.एस.)/एम.टेक/एम.ई इत्यादि। अथवा 2.2 ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इन्फारमेशन टेक्नालाजी। टीप:- बी.एस.सी./बी.काम./अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी। 3. हिन्दी टायपिंग 20 शब्द प्रति मिनिट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) अनिवार्य है।
2	भृत्य (15500-49000)	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।

3.1 सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 द्वारा परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4. आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2024 तक कार्यालयीन समय में जनसंपर्क संचालनालय, रवीन्द्र नाथ टेगौर मार्ग, बाणगंगा चौराहा, भोपाल – पिनकोड-462003 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा या स्वयं द्वारा उपस्थित होकर इस कार्यालय में जमा किये जा सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं डाक में होने वाले विलंब के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

5. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता, शर्तें एवं आवेदन करने के लिए निर्देश विभाग की वेबसाइट www.mpinfo.org अथवा जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल के सूचना पटल पर देखी जा सकती हैं।

6. आवेदन करने के लिये आवश्यक निर्देश:-

1) सेवा में वेतन संबंधित शर्तों में किसी भी समय शासन नीतियों एवं निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है तथा अधिसूचित पदों में कमी या वृद्धि हो सकती है।
2) अपूर्ण एवं गलत भरे गये आवेदनों-पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
3) पदों के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जायेगी तथा प्रवीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
4) आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5) आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
6) आवेदक की आयु-सीमा-18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
8) चयन के लिये किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

9) यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जावेगा।

10) यह कि जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक से अधिक संतानों का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये निर्हरित नहीं होगा।

11) शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे तथा सीधे प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

12) आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये जाने बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

13) किसी आवेदक की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यर्थियों के समर्थन अभिप्राप्त किया गया कोई भी प्रयास उसके नियुक्ति/ चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा।

14) चयनित अभ्यर्थियों को जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश के अधीन किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा।

15) यह कि बिना किसी पूर्व सूचना के चयन को स्थागित अथवा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल को होगा।

16) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेशंन योजना लागू होगी।

17) आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र ए-4 साईज पेपर पर होना चाहिए, जिसके निर्धारित स्थान पर आवेदक के हस्ताक्षर हो तथा निर्धारित स्थान पर आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए।

18) आवेदक लिफाफे पर पूरा नाम तथा पता जैसा कि उसने आवेदन पत्र में लिखा है, स्पष्ट लिखे तथा आवेदन पत्र को लिफाफे में सील बंद कर लिफाफे के ऊपर.................. पद हेतु आवेदन अंकित करें। (आवेदक द्वारा जिस पद के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है उसका नाम)

19) यह कि आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जाये।

20) यह कि दिव्यांगजनों के आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल/ चिकित्सक/दिव्यांगजनों के विशेषज्ञ रोजगार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबद्ध मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

21) यह कि निर्धारित प्रारूप एवं शर्ते विभाग की वेबसाइट www.mpinfo.org अथवा जनसंपर्क संचालनालय भोपाल स्थित सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

22) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया/भारिय एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

23) यह कि नियत अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे तथा इसके लिए जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अभ्यर्थी को कोई लिखित जानकारी देने का उत्तरदायी नहीं होगा।

24) जनसंपर्क संचालनालय भोपाल अभ्यर्थी को केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो आठवीं हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

25) ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जायेंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिए गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हों, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जायेंगे।

26) दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।

27) यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

28) यह कि पूर्व से जारी किये गये नि:शक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

29) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिए दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही जनंसंपर्क संचालनालय, भोपाल द्वारा की जावेगी।

30) मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों हेतु मॉडल रोस्टर में अन्य पिछड़ावर्ग 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-16 अनुसूचित जनजाति-14 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर-

10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू है। सामन्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक एफ8-2/2013/आ.प्र/एक भोपाल, दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार नि:शक्तजनों के लिए जो भी पद विज्ञापित जाए वह वर्गवार न होकर नि:शक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित/दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित) हो। इस प्रकिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होगें उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित जाएगा।

(आयुक्त, जनसंपर्क द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक(प्रशासन)
जनसंपर्क संचालनालय भोपाल

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय,
बाणगंगा रोड़ भोपाल (म.प्र.)
पिनकोड-462003

नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा कर स्व-प्रमाणित करें।

1.	आवेदित पद का नाम	:-	
2.	आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम	:-	
3.	आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का पूरा नाम	:-	
4.	लिंगः- पुरूष/महिला/अन्य	:-	
5.	जन्मतिथि (10+2 के प्रमाण-पत्र के आधार पर)	:-	वर्ष..................माह..............दिन
6.	यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण-पत्र के अनुसार दिनांक	:-	
7.	जीवित बच्चों का विवरण	:-	
8.	वर्तमान डाक का पता	:-	
9.	स्थाई पता	:-	
10.	मोबाईल नम्बर	:-	
11.	दिनांक 01.01.2024 को आयु	:-	
12.	क्या आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है? हां या नहीं (यदि हां तो मूल निवासी प्रमाण-पत्र की स्व.प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	:-	
13.	जन्म स्थान (ग्राम, शहर, जिला, राज्य का नाम)	:-	
14.	क्या आवेदक मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिए घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? यदि हां तो जाति/उप जाति का उल्लेख करें (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल वैध स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व.प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।	:-	
15.	जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी द्विव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्व.प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।	:-	
16.	द्विव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत तथा विज्ञापन में उल्लेख अनुसार द्विव्यांगता की श्रेणी	:-	
17.	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम	:-	
18.	अतिरिक्त विशेष योग्यता/अनुभव यदि हो तो	:-	
19.	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण-पत्र सहित संलग्न करें। यदि आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय /संस्था/निगम/मण्डल में कार्यरत है तो उसका नाम एवं पता (अ) वर्तमान में धारित पद नाम (ब) वर्तमान पद का वेतनमान जिस पर कार्यरत है (छटवां एवं सातवां जो भी लागू हो)	:-	
20.	शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी (अंकसूचियों, प्रमाण-पत्रों एवं डिग्री की स्व.प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)		

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						

आवेदक/ आवेदिका के हस्ताक्षर एवं
पूरा नाम.......................................

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं....................................पुत्र/पुत्री.........................उम्र............ वर्ष.........निवासी.................... जिला............. मध्यप्रदेश एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छिपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है, आवेदित पद पर मेरा चयन एवं चयन पश्चात निरस्त की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ वापस लिये जा सकते हैं।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम